प्रभात खबर

पटना, मंगलवार
14.08.2018 | 03

पटना प्रभात

आज का पंचांग

तिथि- तृतीय
मास- श्रावण
तारीख- 2
तारीख- 28

आज
अस्त 06:03 बजे संध्या

सख्ती. रेरा की सिफारिश पर निबंधन विभाग ने कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव

बगैर रेरा निबंधन प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री नहीं

- **कैबिनेट की मुहर के बाद सूबे के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में लग जायेगी रोक**

संवाददाता ▷ पटना

चालू रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) से निबंधन कराये बगैर चोरी-छुपे उसकी रजिस्ट्री कराने वाले बिल्डरों की मुसीबत बढ़ने वाली है. ग्राहकों को फ्रॉडगिरी से बचाने के लिए राज्य सरकार ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े फ्लैट व जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगायेगी. करीब चार महीने पहले भेजे गये इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए निबंधन विभाग ने फाइल कैबिनेट को बढ़ा दी है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वैसे जमीन-फ्लैट की ही रजिस्ट्री हो सकेगी, जो कंपलीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाण पत्र) के साथ रेरा निबंधन बतायेंगे.

गैर पेशेवर बिल्डरों पर लगेगी लगाम: वर्तमान में कई गैर पेशेवर बिल्डर जुर्माने के साथ रेरा निबंधन से बचने के लिए जल्दी-जल्दी फ्लैटों की रजिस्ट्री करा रहे हैं. कई मामलों में उनके द्वारा संबंधित निकाय से प्रोजेक्ट का कंपलीशन सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कराया जा रहा. इसके चलते ग्राहकों को पूरा पैसा देने के बावजूद अधूरा निर्माण ही हासिल हो रहा है. ग्राहकों को ठगे जाने से बचाने के लिए रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने अप्रैल महीने में ही निबंधन विभाग के प्रधान सचिव और महानिरीक्षक को पत्र लिख कर ऐसी रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग रखी थी. रिमाइंडर के बाद उनकी इस मांग को कैबिनेट में ले जाने पर विभाग सहमत हो गया है.

नगर विकास से भी ली सलाह

निबंधन विभाग ने कैबिनेट को फाइल भेजने से पहले इस मामले पर नगर विकास एवं आवास विभाग की भी सलाह ली है. रेरा अथॉरिटी ने नगर विकास विभाग से भी नगर निकायों में चल रहे तमाम रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की निकाय वार सूचना मांगी थी. इसको लेकर नगर विकास के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने पिछले दिनों निकायों को पत्र भी लिखा. सूबे में नगर निगम से स्वीकृत रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की जानकारी मिलने पर रेरा को अनिबंधित और अस्वीकृत प्रोजेक्ट पर भी कार्रवाई में आसानी होगी.

> कंपलीशन सर्टिफिकेट व बगैर रेरा निबंधन चल रहे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री पर रोक लगाने को लेकर रेरा अथॉरिटी ने काफी पहले ही विभाग को पत्र लिखा था. निबंधन विभाग के इस निर्णय से गैर पेशेवर बिल्डरों की गतिविधियों पर लगाम लगेगी और ग्राहकों को फायदा होगा.
>
> **राजीव भूषण सिन्हा,** सदस्य, रेरा बिहार

आधे से अधिक प्रोजेक्ट अब भी अनिबंधित

पटना. एक अनुमान के मुताबिक सूबे में एक हजार से अधिक रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. लेकिन, पिछले डेढ़ साल में महज आधे से अधिक प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन ही हो सका है. ये रजिस्ट्रेशन भी नये रेरा अध्यक्ष व सदस्यों की सख्ती के बाद बीते पांच महीने में हुए. अथॉरिटी ने बगैर निबंधन प्रोजेक्ट चला रहे 200 से अधिक प्रोजेक्ट व इसके संचालकों को नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. रेरा निबंधन की संख्या बढ़ाने के लिए अब तक चार बार जुर्माने की राशि बढ़ायी जा चुकी है. वर्तमान में चालू प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन कराने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क का चार गुणा या चार लाख रुपये की राशि जुर्माना के तौर पर ली जाती है. रेरा अथॉरिटी ने नगर विकास एवं आवास विभाग से चालू प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के साथ ही अपने स्तर पर निजी एजेंसी के माध्यम से भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के सर्वे का निर्णय लिया है. इस निर्णय से गैर पेशेवर बिल्डरों पर लगाम लगेगी, जबकि पेशेवर बिल्डर पारदर्शिता के साथ ग्राहकों को बेहतर प्रोजेक्ट दे सकेंगे. अशक्त होने की वजह से रेरा की कार्रवाई पटना शहर या जिले तक ही सीमित होती थी. लेकिन, अब धीरे-धीरे इसका दायरा दूसरे जिलों में भी बढ़ रहा है. हाल ही में अथॉरिटी ने छपरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, रोहतास आदि जिलों में चल रहे प्रोजेक्टों को भी नोटिस देकर अपनी मंशा साफ कर दी है. पिछले महीने तक 25 जिलों से रजिस्ट्रेशन के लिए एक भी आवेदन नहीं मिला था.